

निष्पक्षता का केन्द्रीकरण, विविधता का उत्सव: शैक्षणिक व्यवस्था में समावेशन

वन्दना महाजन

लड़कियों के लिए समावेशी शिक्षा की ताकतः

"पर लगा लिए हैं हमने

पिंजरों में कौन बैठेगा

जरा सुन लो"[i]

–"मेरी इच्छा है कि मैं अपने माता–पिता की योग्य बेटी कहलाऊँ"

–"मैं अपने इलाके की पहली ग्रैजुएट हूँ"[ii]

–"अपना नाम कमाऊँ पर कुछ गलत न कर जाऊँ, इससे डर जाती हूँ। उम्मीद यही रखती हूँ कि अब मौका मिला है तो कुछ करके दिखाऊँगी"

–"डरपोक और भीगी बिल्ली की पहचान को छोड़कर, पर्दों से बाहर निकलने का सफर है मेरा"

–"मैंने सवाल उठाना तय किया है; बेशरम बनना तय किया है मैंने"

ये झारखण्ड, यूपी और बिहार की कुछ युवा महिलाओं की आवाजें हैं, जिनसे 'महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा' (जिसे लोकप्रिय रूप से महिला समाख्या कार्यक्रम कहा जाता है) नामक राष्ट्रीय महिला और बालिका सशक्तीकरण कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्रोत समूह की सदस्य के रूप में मैं हाल ही में मिली थी। ये ख्याल और अभिलाषाएँ जो एक सशक्त और जीवन्त क्रियाशीलता के बोध को व्यक्त करती हैं, इन लड़कियों के अनुभव से निकल रही हैं जिन्हें छोटी उम्र में ही स्कूलों से हटा दिए जाने के बाद फिर से शिक्षा हासिल करने और स्कूली जीवन का मजा लेने का एक और मौका मिला। ऐसी हजारों लड़कियों को महिला समाख्या कार्यक्रम के तहत चलाए जाने वाले महिला शिक्षण केन्द्र (एम.एस.के.) नामक एक शैक्षणिक सेतु पाठ्यक्रम कार्यक्रम[iii] में पढ़ने के बाद मुख्यधारा की प्राथमिक शिक्षा से पुनः जुड़ने का मौका मिला।

यदि महिला समाख्या जैसे कार्यक्रम नहीं होते तो समाज के बेहद गरीब और हाशियों तक सीमित तबकों की इन लड़कियों की आकांक्षाएँ और अभिलाषाएँ अधूरी रह जातीं या दमनकारी और बहिष्कारी सामाजिक–सांस्कृतिक मानकों द्वारा दबा दी जातीं। एम.एस.के. में निष्पक्षता और सर्वसमावेशन के जिन सिद्धान्तों का पालन किया जाता है, उनकी बदौलत लड़कियों में आत्मविश्वास का, खुद की एक सशक्त पहचान और कल्याण का बोध विकसित होता है।

शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव

ऐसा माना जाता है कि अधिक न्यायोचित सामाजिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने में शिक्षा एक उत्प्रेरक की तरह काम करती है, फिर भी स्कूल और कक्षाएँ प्रगट या छिपे हुए पूर्वाग्रहों और पक्षपातपूर्ण व्यवहार से पूर्णतः मुक्त नहीं हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने समाज के सबसे

[i] *An excerpt from a popularly sung women's empowerment song from the song book produced by Jagori - a Delhi-based feminist resource organisation.*

[ii] *From Saraikela district of Jharkhand*

[iii] *Mahila Samkhya is a national programme under the aegis of the department of education, Ministry of human resource development of Government of India. It is currently running in 9 states of India.*

निचले तबकों के लिए भी शिक्षा को सुलभ तो बनाया है, लेकिन यह कानून शिक्षकों और शैक्षणिक समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा हाशियाग्रस्त वर्गों के बच्चों के साथ किए जाने वाले भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार को रोकने में विफल रहा है। ये अप्रैल 2014 में प्रकाशित हुई मानवाधिकार निगरानी समूह की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों में से हैं। 'वे कहते हैं कि हम गंदे हैं: भारत में हाशिए पर रह रहे लोगों को शिक्षा से वंचित रखना' शीर्षक से जारी हुई यह रिपोर्ट चार राज्यों (दिल्ली, यूपी, बिहार और आंध्रप्रदेश) में दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम बच्चों के खिलाफ स्कूल प्रशासन द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का विवरण प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में शौचालयों को साफ करने से लेकर कक्षा में अलग बैठाए जाने तक, स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के साथ लगातार होने वाले भेदभाव का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भेदभाव भरा यह व्यवहार एक अप्रिय वातावरण निर्मित कर देता है जिसके कारण ये बच्चे स्कूल से गैर–हाजिर रहने लगते हैं और अन्ततः स्कूल जाना पूर्णतः बन्द कर देते हैं।

बिहार में, अत्यधिक गहरी जड़ें जमाए सामाजिक बहिष्करण की समस्या को सुलझाने के लिए उत्थान कार्यक्रम के तहत चलाई गई एक सामुदायिक परियोजना ने महादलित (मुसहर) समुदाय के लिए और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस सर्वाधिक हाशियाग्रस्त सामाजिक समूह की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य–केन्द्रित प्रयास प्रारम्भ किए थे। बिहार में ही, एक अन्य कार्यक्रम, 'हुनर' मुस्लिम लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा के मौके प्रदान करता है। ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा प्रणाली के अच्छे उदाहरण हैं।

मुख्यधारा की भाषाओं और देशज तथा बच्चे की पहली भाषा के बीच निष्क्रिय सम्बन्ध

हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में एक और अलगाव पैदा करने वाला चलन है बच्चे की घरेलू भाषा की अनदेखी करना और राज्य द्वारा प्रायोजित केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से कुछ प्रबल भाषाओं का भाषाई आधिपत्य स्थापित करना। शोधकार्य दर्शाते हैं कि द्विभाषावाद और बहुभाषावाद के फायदे बच्चों की शैक्षणिक सफलता, सफलता पाने के लिए उनकी प्रेरणा, अपने परिवार व समुदाय के साथ उनके जुड़ाव तथा उनके कल्याण के रूप में दिखाई देते हैं (वेन–जुई और चाइन–चन्ग, 2010; क्लार्क, 2009)। इसके उलट जब बच्चे अपनी पहली भाषा के विकास से वंचित रह जाते हैं या उसमें व्यवधान आ जाता है तो पहली भाषा का उपयोग किए बिना अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह से बच्चे खुद को परिवार या सामुदायिक समूहों से बहिष्कृत महसूस कर सकते हैं, और उन्हें अपनी पहली और दूसरी (या अतिरिक्त) भाषा के बीच कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता (याजिची, इटलर और ग्लोवर, 2010)।

उड़ीसा के चार आदिवासी समुदायों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सेवाओं[iv] के स्थितिगत विश्लेषण की प्रक्रिया से पता चला कि प्रमुख आदिवासी समुदायों के प्राथमिक स्कूलों में और प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) केन्द्रों में बच्चों के बीच कोई बहुत ज्यादा विविधता नहीं थी, न तो भाषाई रूप से और न ही दूसरे आदिवासी वर्गों की उपस्थिति के मामले में। बच्चे एक ही प्रभावशाली आदिवासी समुदाय के थे और अपनी घरेलू भाषा बोलते थे। लेकिन, ई.सी.सी.ई. शिक्षक उड़िया माध्यम से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित थे। वे बच्चों की घरेलू भाषा बोलने और पढ़ने में सहज नहीं थे, न ही उन्हें सीखने–सिखाने के लिए इतना सहयोग प्राप्त था कि वे कक्षा में होने वाली गतिविधियों को बच्चों की घरेलू भाषा में संचालित कर पाते और बच्चे की भाषा तथा राजकीय भाषा अर्थात उड़िया के बीच कुशलतापूर्वक सेतु बना पाते।

उड़ीसा राज्य शिक्षा विभाग की तकनीकी शैक्षणिक भागीदार एजेंसी, ईआरजी–इगनस ने आदिवासी बच्चों के लिए समावेशी ई.सी.सी.ई. शिक्षा हेतु चार आदिवासी

[iv] *The state education department of Orissa government had hired Delhi-based IGNUS-ERG team, for developing the ECCE curriculum in four tribal languages. This project was supported by BVLF.*

भाषाओं में सन्दर्भ–आधारित पाठ्यसामग्री विकसित करने और मातृभाषा–आधारित ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने जैसे प्रयास किए थे।

ऊपर उल्लिखित अनुभव हमें ज्यादा बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करते हैं –

बच्चों (लड़कों और लड़कियों) की धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय, वर्गीय, लैंगिक और सांस्कृतिक पहचानों की बहुलता को देखते हुए, हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम उन बच्चों की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने में क्यों विफल हो जाते हैं जो 'मुख्यधारा' की पहचान के प्रबल विमर्श में माकूल नहीं बैठते। इसके अलावा हमारे सामने कुछ और गम्भीर मुद्दे हैं जैसे शिक्षा तक सब बच्चों की निष्पक्ष पहुँच न होना तथा बच्चों की उम्र व उनकी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्षमताओं से जुड़ी विभिन्नताओं और विविधताओं को स्वीकार न कर पाना। हमारे इर्द–गिर्द इतनी विभिन्नता और विविधता है कि यह कहना असम्भव है कि क्या सामान्य है और क्या मुख्यधारा!

इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि हम शिक्षा में निष्पक्षता को तथा हमारे देश में व्याप्त बहुलता और विविधता को मद्देनजर रखते हुए समावेश शब्द की समझ को व्यापक करें। विविधता की संस्कृति न सिर्फ अलग–अलग लिंग, जाति और संस्कृति के व्यक्तियों के बीच व्याप्त असंख्य भिन्नताओं को, बल्कि अलग–अलग भाषाओं, धर्मों, मूल्यों, क्षमताओं, सामाजिक–आर्थिक स्तरों और लोगों को एक–दूसरे से अलग करने वाले किसी भी अन्य पहलू को भी एक जोड़ने वाले सूत्र में निबद्ध कर देती है। जब हम एक साथ मिलकर एक–दूसरे की जिन्दगियों में सहयोग और योगदान करते हैं, तो यह सबसे जरूरी है कि हम समावेशी रवैया अपनाकर विविधता को स्वीकार करें, समझें और संरक्षण प्रदान करें तथा विभिन्नताओं का उत्सव मनाएँ, उनका आनन्द लें। समावेश की ऐसी धारणा यह सुनिश्चित करेगी कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में भेदभाव की कोई जगह न रहे और समाज के विभिन्न तबकों के लिए शिक्षा तक पहुँच के तथा आकांक्षाओं और परिणामों के ऊँच–नीच वाले क्रम नहीं बनें। परिभाषा कोई भी हो, शिक्षा में निष्पक्षता के लिए आवश्यक है सर्वसमावेशन, सशक्तीकरण, सम्मान, न्याय, अपनत्व का एहसास और किसी भी तरह का भेदभाव न होना।

समावेशी सोच में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि सहभागिता, सबकी पहुँच और सीखने के मौकों की राह में मौजूदा परिवेश रुकावटें खड़ी करता है और समावेशन की सोच का लक्ष्य इन रुकावटों को कम करना होता है। समावेशी सोच सभी को एक ही साँचे में ढालने की कोशिश करने के बजाय विभिन्नताओं को स्वीकार करती है। लेकिन एक तरफ भिन्नताओं को स्वीकार करना और दूसरी तरफ असमानता को बढ़ावा देना, इन दोनों का मतलब एक नहीं माना जा सकता।

पॉवेल (1994) कहते हैं कि शिक्षा के भीतर सर्वाधिक समावेशी ढंग से "निष्पक्षता" के होने का अर्थ है कि हर एक विद्यार्थी का अलग से ध्यान रखा जाए और उसे शिक्षण के ऐसे तरीके, विषयवस्तु और पद्धतियाँ मुहैया कराई जाएँ जो उसकी विशेष जरूरतों, सशक्त पहलुओं और रुचियों के अनुकूल हों। सभी विद्यार्थियों को ऐसे स्कूली परिवेश में सार्थक ढंग से सिखाया जाएगा जहाँ भिन्नताओं को महत्त्व दिया जाता है और विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है कि वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय ढंग से भागीदारी करें।

सम्भावनाओं की झलक : समावेशी शैक्षणिक पद्धति के उदाहरण

राष्ट्रीय तौर पर ऐसे कई व्याख्यात्मक उदाहरण हैं जहाँ परियोजना–उन्मुख नीतियों ने स्कूली स्तर या संकुल स्तर के प्रयासों को काफी मदद दी है ताकि शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक वंचित बच्चों का समावेश सुनिश्चित हो सके। एक लक्ष्य–केन्द्रित सुरचित कार्यक्रम (के.जी.बी.वी.), एक प्रेरित जिला कार्यालय, क्रियान्वयन करने वाले उत्साहित और संवेदनशील भागीदार (एन.जी.ओ. या महिला समाख्या), इन सबका गठजोड़ लड़कियों के लिए एक ऐसा सुप्रबन्धित रहवासी स्कूल बनाने में मदद कर सकता है जो मुख्यतः उन्हें सशक्त बनाने और उनकी क्षमताएँ बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं पर चलता रहे।

किसी स्थानीय उद्योग या एन.जी.ओ. के साथ साझेदारी, कर्नाटक की लर्निंग गारण्टी प्रोग्राम जैसी परियोजनाएँ, नम्मा शाले और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलपमैण्ट, बिहार में हुनर और उत्थान, विभिन्न राज्यों में महिला समाख्या तथा मीन मन्च जैसे महिला सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले विशेष सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं ने बेहद गरीब और साधनहीन परिवारों के लड़के–लड़कियों तक पहुँचने और उन्हें सीखने के लिए जरूरी सहयोग देने में मदद की है। इन प्रयासों ने ऐसी प्रक्रियाएँ तैयार कीं जिनके माध्यम से लोग, स्कूल, प्रशासन और बाहरी स्रोत (एन.जी.ओ., सी.एस.आर. गतिविधि) साथ में आ सकें और विभिन्न स्तरों पर स्कूली प्रक्रियाओं का किसी किस्म का साझा स्वामित्व ले सकें।[v]

लेकिन, ऐसी सभी परियोजनाओं की सफलता सक्रिय और बेहद प्रेरित तथा लक्ष्य के प्रति सजग प्रधान शिक्षक, अच्छे शिक्षकों के समूह तथा लोगों की स्वाभाविक भागीदारी व जुड़ाव और राजनैतिक रूप से जिम्मेदार शैक्षणिक प्रशासन जैसे तमाम कारकों के संयोजन पर निर्भर करती है। ऐसी नूतन परियोजनाओं से जो सीख मिलती है उसे मुख्यधारा के सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा आत्मसात किए जाने की जरूरत है।

अत्यन्त वंचित बच्चों के प्रति शिक्षकों की संवेदनशीलता तथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका की व्यक्तिगत प्रेरणा एक सुप्रबन्धित, संवेदनशील और संलग्न स्कूल का बुनियादी सूत्र है। निष्पक्ष शिक्षा देने की जिम्मेदारी का दायित्व शिक्षक पर होता है। शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक नेतृत्व प्रबन्धन कार्यक्रमों के क्षेत्र में जबरदस्त गुंजाइश और मौके हैं कि शिक्षकों के ज्ञान, कौशलों और क्षमताओं को सार्थक व संवेदनशील ढंग से आगे बढ़ाया जाए ताकि वे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के विविधतापूर्ण विकास में और उनकी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दे सकें।

शिक्षकों तथा सुविधाहीन पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक शक्ति सम्बन्ध में संवेदनशील होना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यह तभी हो सकता है जब शिक्षक अपने पढ़ाने के ढंग में इस तरह से सुधार करें कि विविध जातीय, सांस्कृतिक, लैंगिक और सामाजिक वर्ग समूहों से आने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धियाँ हासिल होना शुरू हों (बैंक्स, 2004)। साथ ही शिक्षकों को ऐसे प्रगतिवादी शैक्षणिक प्रशासन का सहयोग मिले जो हमारे संविधान में वर्णित आधारभूत मूल्यों और सिद्धान्तों को कायम रखने के लिए राजनैतिक रूप से प्रतिबद्ध हो।

"जब आप किसी बच्चे का स्कूल में नामांकन करते हैं, तो दरअसल आप पूरे परिवार का नामांकन करते हैं"

(इम्टॉअल, कैमेनिअर और ब्रैडले, 2009)। डी.पी.ई.पी., एस.एस.ए. और गैर सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रमों के तहत चलने वाली परियोजनाओं के ऐसे कई अध्ययन और नतीजे हैं जो दिखाते हैं कि स्कूल में माता–पिता की अधिक भागीदारी और स्कूल–पालक–समुदाय के ज्यादा नजदीकी सम्बन्ध गुणवत्ता को सुधारने में, और इस तरह से, सीखने के नतीजों को सुधारने में मदद कर सकते हैं। समुदाय के सदस्यों में स्कूल को लेकर गर्व और स्वामित्व की एक भावना दिखाई देती है। इसका अर्थ होगा कि शिक्षक और प्रधान शिक्षक को ऐसी क्षमताएँ निर्मित करने के अवसर दिए जाएँ कि वे बच्चों के परिवारों और लोगों के साथ सशक्त और आदरभाव पर आधारित साझेदारियाँ स्थापित कर सकें ताकि बच्चों के सीखने के लिए और विकास के लिए बेहतरीन सहयोग दिया जा सके। साथ ही निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में आने वाली रुकावटों को पहचानने व उन्हें दूर करने की परस्पर जवाबदेह प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें।

जीवन में आने वाली परिस्थितियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में समावेशी होने के लिए ऐसा संवाद जरूरी है जो

[v] *These good practices were part of the research study entitled, 'School Management for Quality Inclusive Education and Decentralised School Governance'. This was supported by European Union and conducted by ERU Consultants Pvt. Ltd. under the leadership of the National Steering Committee. It was set up as a joint collaboration between Ministry of Human Resource Development and European Union in 2010 entitled 'Exchange of International Best Practices in Education-Actions in India and Overseas' leading to innovation in Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).*

समानता और पारस्परिकता पर आधारित हो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद से शुरुआत करना। आइए हम दुनिया को ऐसे एक बहुरंगी चित्र के रूप में देखना प्रारम्भ करें जिसमें हर रंग, हर छोटी से छोटी रेखा और आकृति, सभी उसकी सम्पूर्णता में योगदान देते हैं।

रबीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में, "भिन्नताएँ, विविधताओं को जन्म देती हैं; एकजुटता विविधता को संरक्षित करती है।"

वन्दना महाजन वर्तमान में अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन, बेंगलूरु के साथ काम करती हैं। अपने कार्यक्षेत्र में उन्हें 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने लैंगिक समानता की पक्षधर, एक कार्यकर्ता और एक महिलावादी प्रशिक्षक की अलग–अलग भूमिकाएँ निभाई हैं। उन्होंने बाल शिक्षा कार्यक्रमों के साथ काम किया है, बाल–केन्द्रित और अधिकार–आधारित शैक्षणिक प्रशिक्षण तथा सीखने–सिखाने की प्रक्रियाओं को तैयार किया है व उनकी समीक्षा की है। इसके अलावा उन्होंने यू.एन. विमेन में लिंग और एच.आई.वी. विभाग सम्भाला है और लिंग, शिक्षा तथा विकास–आधारित कार्य शोध और प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण से जुड़े काम भी सम्भाले हैं। वे अपने उन तमाम साथियों को सलाम करती हैं और उनकी भावना को साझा करती हैं जो अभाव, भेदभाव और हिंसा से मुक्त दुनिया बनाने की मानवीय निपुणता और साहस की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे vandana.mahajan@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद** : भरत त्रिपाठी